चेचर

चेचर इन उत्खनन-कार्यों से नवपाषाण काल से लेकर कुषाण और गुप्त काल तक की संस्कृति की सिलसिलेवार जानकारी मिली है, कहीं-कहीं सिलसिला टूटा हुआ है। इस स्थल के ऊपरी सतह पर मध्यकालीन चिकना पात्र भी मिला था। सबसे आरंभिक काल से पता चलता है कि उस समय विकसित ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था थी, और उस समय खेती के औजारों और शिकार के हथियारों तथा मिट्टी के पलस्तर से बने टूटतो के मकानों का उपयोग होता था। इसके बाद कुषाण और गुप्त कालों की संस्कृति आई जिसमें उत्तर के काले ढंग की पालिश वाले बर्तन और बड़ी-बड़ी ईंटों वाले मकान बनाए गए। महत्वपूर्ण पुरावस्तुएं मिलीं जिनमें पालिश वाले पत्थर और हड्डियों के बने औजार, पत्थर के छोटे-छोटे हथियार, सिक्के, मुहरें, ठप्पे, मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं।

वैशाली

सबसे प्राचीन व्यवसाय ईसा-पूर्व प्रथम अर्ध सहस्राब्दी पहले का है और यह मध्य-काल तक जाता है। उत्खनन कार्य से पूजास्थल, स्तूप, मकान, जल-निकास व्यवस्था आदि; और पुरावस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे मुहरें, ठप्पे मिट्टी के बर्तन, सिक्के, हड्डी और हाथी दांत की वस्तुएं आदि।

विक्रम शिला

इस खुदाई से एक भव्य बौद्ध महा-विहार के अवशेष का पता चला है जिसमें विभिन्न प्रकार की पुरा-वस्तुएं मिली हैं, जिनमें मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, शिलालेख आदि शामिल हैं। इसके अलावा, भिक्षु विहार, मठ, तहखाने और विशाल द्वार, एक जल-निकास व्यवस्था, प्रस्तर स्तूप पानी का एक जलाशय और अन्य इमारतें मिली हैं।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान खुदाईकार्य केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार मंडल की स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) की सिफारिशों के अनुसार किया जाना है जिसकी बैठक प्रति वर्ष प्रायः सितम्बर में होती है।

कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षा

120. डॉ० अबरार अहमद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे व्यक्तियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिये सरकार की क्या योजना है और उन्हें किस प्रकार शिक्षा तथा अन्य सुविधा प्रदान की जा रही हैं;

(ख) ऐसे बच्चों की राज्य-वार संख्या कितनी है और क्या उन्हें कोई आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ग) सरकार ने अब तक कितने बच्चों को "बाल श्रमिक" से "विद्यार्थी" बनाया है और क्या सरकार बाल श्रमिक को विद्यार्थी बनाओ" जैसा कोई नारा देने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) संवैधानिक निर्देशों में यह कहा गया है कि 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में आगे यह भी कहा गया है कि शिक्षा में सभी की न केवल पहुंच के लिए बल्कि सफलता के लिए भी सूची को समान अवसर प्रदान के लिए प्रयास भी किए जाने चाहिए तदनसार, समानता को बढ़ावा देने तथा विसंगतियों को कम करने के लिए कई कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है जो खराब सामाजिक आर्थिक परि-स्थितियों में रह रहें बच्चों तथा काम करने वाले बच्चों के लाभ के लिए होंगे। इन कार्यक्रमों में से मुख्य-मुख्य निम्न-लिखित हैं :-

(i) 300 की जनसंख्या वाली सभी बस्तियों में 1 किलोमीटर की पैदल दूरी पर एक प्राईमरी स्कूल का प्रावधान करना। अ०जा०/अ०ज०जा० की आबादी वाली बस्तियों में इस नियम में 200 व्यक्तियों तक की जनसंख्या की छूट दी जा सकती है।

(ii) आपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत सूची प्राईमरी स्कूलों के लिए भौतिक सुविधाओं का प्रावधान करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्राइमरी स्कूलों को न्यूनतम स्तर प्रदान किया जा रहा है।

(iii) उन बच्चों को अंश कालिक शिक्षा प्रदान करने के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा का प्रावधान करना, जो अपना गुजारा करने के लिए कार्य करते है अथवा किसी और तरह से अपने परिवार की मदद करते हैं अथवा जो बच्चे पूरे दिन के स्कूलों में भाग नहीं ले पाते।

(iv) अ०जा०/अ०ज०जा० के परिवारों से सम्बन्धित बच्चों तथा लड़कियों को निशुल्क वर्दियां, निशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा मध्याह्न भोजन आदि जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान करना।

(v) प्राईमरी स्तर तक सभी बच्चों को सभी सरकारी स्कूलों में निशुल्क शिक्षण का प्रावधान करना।

इस सम्बन्ध में अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि कितनी संख्या में बच्चे गरीबी रेखा से नीचे रहे रहे हैं अथवा कार्य करने वाले बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मात्र अकेले शिक्षा का प्रावधान करना ही बच्चों को काम करने की प्रथा को रोकने के लिए पर्याप्त न होगा बल्कि इसके साथ साथ परिवार की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से सम्बन्धित कुछ अन्य कदम उठाने भी जरूरी हैं।

राष्ट्रपति की अनुमति हेतु लंबित विधेयक

131. डा० अबरार अहमद : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे कितने विधेयक हैं जिन्हें संसद् द्वारा पारित तो किया जा चुका है परन्तु जिनके संम्बंध में राष्ट्रपति की अनुमति अभी प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) ये विधेयक कब से लंबित पड़े हैं;

(ग) क्या संसद्-सदस्यों की पेंशन और अन्य सुविधाओं के संबंध में संसद् द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति ने कुछ आपत्तियों के साथ लौटा दिया है, यदि हां, तो वे आपत्तियां क्या हैं और इस संबंध में सरकार क्या समाधान कर रही है; और

(घ) क्या ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा लौटाए जाने के सम्बन्ध में कोई समय-सीमा है और यदि नहीं, तो क्या यह निर्धारित की जा सकती है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) (क) हमारे अभिलेख के अनुसार एक विधेयक अभी लंबित है और दूसरा विधेयक, संसद् को, उसके द्वारा पुनर्विचार के लिए, वापिस भेज दिया गया है।

(ख) और (ग) (i) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986, 19 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति को उनकी अनुमति के लिए, भेजा गया था। उक्त विधेयक राष्ट्रपति ने 7 जनवरी, 1990 को इस संदेश के साथ कि इस पर संसद् के दोनों सदन पुनर्विचार करें, अध्यक्ष, राज्य सभा को वापिस कर दिया गया है।

(ग) संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1991, 19 मार्च, 1991 को राष्ट्रपति को, उनकी